

**न्यायालय चहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.**

सरकार जरिये शिफर्ट पटवारी हल्का ..... बनाम .....

प्रवचन अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/2018/57


निर्णय दिनांक :- 18/11/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम राजपुरी की आ.ख.नं. 810 कुल रकबा 0.91 कियम जमीन राजपुरी में से 0.01 रकबा पर बी समपतडीमटरी कुववर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर शुभाडालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का राजपुरी द्वारा दिनांक .....

को उसके विरुद्ध यामूनी कार्यवाही किये जाने की शिफर्ट मय तारीख भू.अ.निरी. खेरीली रोड के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज शजिनडर किया जाकर अतिक्रमी समपतडीमटरी जाति कुववर निवासी राजपुरी को भू.राजस्थ अघिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .....


..... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकबा आ.ख.नं. 810 रकबा 0.91 में से 0.01 रकबे किस्म तौसुपास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वॉरसायम का अतिक्रमण

रकबे से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं टण्ड स्वरुप लगान 0.02 का 50 गुणा 1/4 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी राजपुरी भू.अ.निरी. खेरीली रोड को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 तहसीलदार  
 चहसीलदार  
 कठूमर, अलवर (राज.)

उत्तरलिपि :- प. ६

दि. नं. न. व. नं. (पट. नं.) 80 पृष्ठ 4  
 दि. 2-18-19 पत्रावली का दि. 1/11  
 नो. का. म. नं. का नं.

  
 तहसीलदार  
 कठूमर, अलवर

कठूमर (अलवर) राज